न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/635

रेवडी लाल आत्मज बिरधी लाल जी जाति मेघवाल आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बाबू लाल मेघवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर पुराने 111 की 06 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 155 की 13 बीघा 11 बिस्वा कुल 02 किता की 20 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 104 रकबा 2.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 1.02 हैक्टर कुल 03 किता की 3.29 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व केसर बेवा फूंदी लाल जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज थी और बाद सेटलमेंट व वर्तमान में उक्त भूमि केसर बेवा फूंदी लाल के नाम दर्ज चली आ रही है । खातेदार केसर ने उक्त भूमि में से 08 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 350 की 1.02 हैक्टर कायम हुए हैं, वादी के पिता बिरधा आत्मज पेमा को दिनांक 23.08.1939 को 29/– रूपये में बेचान कर दी थी जिसकी तहरीर लिखी गई तब से उक्त भूमि पर वादी के पिता का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा था । वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी का कब्जा काश्त आज तक बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा है । वादी के पिता का उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी का पिछले 45 वर्षो

से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चले आने के कारण वादी को उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 350 की 1.02 हैक्टर भूमि का वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड से केसर बेवा फूंदी के खाते से हटाई जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी केसर की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । केसर ने उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता को दिनांक 23.08.1939 को 29/– रूपये में बेचान कर दी थी जिसकी तहरीर लिखी गई तब से उक्त भूमि पर वादी अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी अपीलान्ट के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली लोक अदालत ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा में रखी तथा कहा कि इस इस कागज पर उपस्थिति के हस्ताक्षर कर दो व पेशी दिनांक 09.06.2017 को आ जाना किन्तु अपीलान्ट अपनी काश्तकारी में व पत्नी की बीमारी में व्यस्त रहा इस दौरान पत्नी का देहावसान हो गया व पेशी की जानकारी नहीं हो सकी । बाद में वकील के पास पेशी की जानकारी करने जाने पर बताया कि वाद का निर्णय दिनांक 31.05.2017 को हो गया जिस पर उसी दिनांक 09.11.2017 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था । केसर बाई के द्वारा 08 बीघा आराजी अपीलान्ट के पिता को बेचान की थी यह बेचान दिनांक 23.08.1939 को किया गया था । बेचान की तहरीर लिख दी गई थी । इसके नये खसरा नम्बर 350 रकबा 1.02 हैक्टर कायम किये गये हैं । बेचान की तिथि से अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही वादी के पिता का इस पर कब्जा चला आ रहा है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी

कब्जा वादी का दर्शाया गया है । पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये ओर दावा खारिज किया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 खाता संख्या 146 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की आराजी केसर बेवा फूंदी लाल के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2050–53 के अनुसार वादग्रस्त आराजी केसर बेवा फूंदी के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2015 से 2024 के अनुसार कुल 02 किता की 20 बीघा 07 बिस्वा आराजी केसर बेवा फूंदी लाल के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 07.03.2013 संलग्न है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति और केसर बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की भी प्रति पत्रावली पर संलग्न की गई है ।

12. वादी के द्वारा दावा यह कथन करते हुए पेश किया गया था कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 23.08.1939 को 29/– रूपये में केसर बेवा फूंदी लाल के द्वारा बेचान की गई है और दावे में यह अंकित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । दावे में यह भी अंकित किया गया है कि केसर बाई लाऔलाद फौत हो चुकी है ।

13. वादी के द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 23.08.1939 में उनके द्वारा यह आराजी 29/– रूपये में खातेदार केसर बेवा फूंदीलाल से क्रय की थी परन्तु इसके समर्थन में उनके द्वारा न तो असल दस्तावेज पेश किये हैं और न ही उसकी प्रमाणित प्रति पेश की है । एक फोटो प्रति तहरीर की पत्रावली में संलग्न है जिसको प्रदर्श भी नहीं करवाया गया है । पत्रावली पर जो गवाहों के शपथ पत्र पेश किये हैं उन शपथ पत्रों की न्यायालय में उपस्थित होकर शपथपत्र ग्रहिताओं द्वारा ताईद भी नहीं की गई है । वादी के द्वारा यह कथन किया गया है कि केसर बेवा फूंदी लाल लाऔलाद फौत हो चुकी है ऐसी स्थिति में यह जॉच किया जाना भी अनिवार्य है कि केसर के वारिसान मौजूद हैं अथवा नहीं । पत्रावली पर जो जवाब सरकार सलग्न है उसमें इस बाबत् कुछ भी अंकित नहीं किया गया है । पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसका लोक अदालत में निर्णय किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं

की गई है । हम इस प्रकारण में साक्ष्य लेकर नये सिरे से सीपीसी की पालना करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं । साथ ही इस प्रकरण में यह जॉच किया जाना भी अनिवार्य है कि केसर के वारिस मौजूद हैं अथवा नहीं । यदि केसर के वारिस मौजूद हैं तो उन्हें पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक है और यदि केसर के वारिस मौजूद नहीं हैं और वादी अपने दावे को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो वादग्रस्त आराजी को राजगामी करने हेतु कार्यवाही किया जाना भी आवश्यक है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन के अनुसार नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा